न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–12/2005

CIS No.- TS 236/2018

नगीना पाठक..वादी

बनाम

बिहार सरकार..प्रतिवादी

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
03.06.2026	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से दिनांक 18.03.2026 को एक आवेदन दाखिल किया गया जिसे उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता आवेदन दिनांक 18.03.2026 में निवेदन करते है कि आवेदन दिनांक 16.02.2023 को न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2024 के आदेश से 1500/– रूपया हर्जे की राशि पर स्वीकृत किया गया है। उक्त हर्जे की राशि को बेतिया नजारत में वादी की ओर से जमा किया जाना जरूरी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी 1500/– रूपया की राशि को बेतिया नजारत में जमा करने की अनुमति देने की कृपा की जाए। प्रतिवादी की तरफ से वादी के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज होने योग्य बताया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादी द्वारा एक आवेदन दिनांक 18.03.2026 को दाखिल किया गया है तथा निवेदन किया गया कि 1500/– रूपया की राशि को बेतिया नजारत में जमा करने की अनुमति प्रदान	

<u>न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–12/2005</u>
<u>CIS No.- TS 236/2018</u>

नगीना पाठक...वादी
बनाम
बिहार सरकार...प्रतिवादी

लगातार **03.06.2026**	की जाए। वादी का आवेदन न्यायसंगत है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 18.03.2026 को स्वीकृत किया जाता है एवं वादी को 1500/– रूपया की राशि बेतिया नजारत में जमा करने का निर्देश दिया जाता है। आगामी दिनांक 09.07.2026 को सुनवाई हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	